Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[L.D. Appeal Case No.-90/2024]
Birendra Yadav & Ors.....Appellants.
Versus
The State of Bihar & Anr.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	16.4.2026	**आदेश** यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-33/2022-23 में दिनांक-16.5.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-	

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
बनमनखी	मसुरिया/58	624	1973	0.10 डी.

दिनांक 08.4.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।

अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन (कुल रकवा-0.75 डी.) का खतियान रामदेव पाण्डेय के नाम से दर्ज है। उनका कहना है कि उनके पिता के द्वारा प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन (कुल रकवा-37.5 डी.) का क्रय जमाबंदी रैयत से किया गया। जिसके उपरान्त उनका शान्तिपूर्ण दखल-कब्जा रहा है। तथा यह कि नामान्तरण के पश्चात सरकार को अद्यतन लगान दिया जा रहा है। जबकि विपक्षी का दावा है कि प्रश्नगत जमीन का क्रय उनकी नानी नुनुदाई द्वारा वर्ष 1966 में खतियानी रैयत के भाई से किया गया है। जिसके उपरान्त नामान्तरण करा कर सरकार को अद्यतन मालगुजारी अदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुंसिफ न्यायालय, बनमनखी में दायर स्वत्व वाद सं.-03/2017 में दिनांक-27.4.2018 को पारित आदेश के आलोक में उनकी माँ भोलनी देवी को प्रश्नगत खेसरा की कुल रकवा 0.75 डी. का आधा हिस्सा 37.5 डी. जमीन प्राप्त है। उनका कहना है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। तथा यह कि एक फर्जी पंचनामा के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत जमीन का नामान्तरण करवा लिया गया है। जो गलत है। विपक्षी के ओर से निम्न न्यायालय के आदेश को संपुष्ट करते हुए इस अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन के खतियानी रैयत रामदेव पाण्डेय थे। कागजातों में संदर्भित मुंसिफ न्यायालय, बनमनखी में दायर स्वत्व वाद सं.-03/2017 में दिनांक-27.4.2018 को पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्नगत खेसरा की कुल 0.75 डी. जमीन में से आधा हिस्सा विपक्षी की माता को डिक्री से प्राप्त हुआ है। सुनवाई में विपक्षी की ओर से वर्णित पंचनामा के फर्जी होने के अभिकथन के संदर्भ में अपीलार्थी की ओर से कोई साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से विपक्षी के अभिकथन एवं संगत तथ्यों को Negate करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

	16.4.2026	किया जा सका है। अतः प्रश्नगत जमीन पर अपीलार्थी का दावा विधिमान्य प्रतीत नहीं होता है। निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। Ranjeet K. 16/4/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। Ranjeet K. 16/4/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय ★ पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	